उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1620/सत्रह–वि–1–1(क) 28–1999

लखनऊ, 29 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1999 पर दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये जिला स्तर पर, जिला योजना समिति का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंनिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 19 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें 2– इस अधिनियम में, –

(क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" का तात्पर्य राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली से है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो;

(ख) "समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति से है;

(ग) "जिला स्तर के अधिकारी" का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) "क्षेत्र पंचायत" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि–परिषद के सदस्य से है ओर इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल हैं;

(च) "नगरपालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगरपालिका परिषद या किसी नगर पंचायत से है;

(छ) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अधिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य नगरीय क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र से है;

(झ) "नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(ञ) "जिला पंचायत" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित किसी जिला पंचायत से है;

जिला योजना समिति का गठन

3– (1) प्रत्येक जिले में, एक जिला योजना समिति का , जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये, गठन किया जायेगा।

(2) समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगीः–

(एक) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षाण है;

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संस्थानों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

जिला योजना समिति की संरचना

4–(1) प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी विहित की जायः

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यों की संख्या बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पॉच सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) जहॉ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगरपालिका समाविष्ट हो, वहां ऐसी नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या को ऐसी नगरपालिकाओं में, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वितरित किया जायेगा।

(4) समिति के शेष एक बटा पॉच सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक मन्त्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत;

(ग) ऐसी नगरपालिका का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हो, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष;

(घ) जिला मजिस्ट्रेट–पदेन;

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पांच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाये।

(5) उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थित नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग–पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति से उसके शेष पदावधि के लिये भरा जायेगा।

रिक्तियां इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी

5– समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

समिति के स्थायी आमंत्रित

6– (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(2) राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो ऐसे स्नातक या शिक्षक या स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है, पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट है, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।

(3) राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित या राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य की विधान परिषद के सदस्य भी अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री–परिषद का सदस्य न हो, दो या

अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहॉ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट कर सकेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री–परिषद का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहॉ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट कर सकेगा।

समिति का सचिव

7– (1) जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद ''मुख्य विकास अधिकारी'' के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है।

(2) जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निदेशित की जाय, समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा।

समिति के सदस्यों का निर्वाचन

8– राज्य निर्वाचन आयोग को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार होगा।

समिति के कृत्य

9– समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात –

(क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्दश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देदश्यों का अभिज्ञान करना :

(ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिये और जिला ब्लाक संसाधन की पाश्विका तैयार करने के लिये आंकडे का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना :

(ग) ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना :

(घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्दश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना :

(ङ) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्दश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए, उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना :

(च) राज्य सरकार की विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करना :

(छ) जिला के लिए रोजगार योजना तैयार करना :

(ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिये वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना :

(झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब–सेक्टर के परिव्ययों का आवंटन करना :

(ञ) जिला में विकेन्द्रीकृत योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं और संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों और विधान सभा–निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा करना;

(ट) जिला योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिये संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चगामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना;

(ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना;

(ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना;

(ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए स्थल चयन को अन्तिम रूप देना;

(त) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाये।

जिला योजना का कार्यक्षेत्र

10– (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति, ग्रमीण क्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में प्रगणित किये गये हों।

(2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेशित करें।

जिला योजना की अधिकतम सीमा

11– (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी और तद्नुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत की गई जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

जिला योजना का अंतिम रूप दिया जाना

12— समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।

जिलों को धन का आवंटन

13— (1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिलेवार धन के लिये उपबन्ध कर सकेंगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एकमुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।

(2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट को धारा—12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिये वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये, समिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।

विवाद का समाधान

14— यदि समिति के कृत्य,उसकी शक्ति या अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

समिति की बैठक

15— (1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर आयोजित की जायेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायं।

(2) समिति अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित किये जाये, आमंत्रित कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाय, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

उप समितियां

16— समिति इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिये उप समितियों का गठन कर सकेगी।

समिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति

17— राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना, समन्वय और अनुश्रवण से सम्बन्धित ऐसे कृत्य जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो आवश्यक समझे जायं, समिति को समनुदिशित कर सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का का संरक्षण

18— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावर्पूक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

19— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी

20— राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन रहते हुए समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्तपन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 —क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अध्यारोही प्रभाव

22— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्वाचन, योजना की संरचना और उससे आनुसंगिक या परिणामिक अन्य मामलों को सम्मिलित करते हुए सभी मामलों में लागू होंगे।

निरसन और अपवाद

23— (1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।